भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3449
12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी कामगारों के लिए एआरएचसी

3449. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार इस तथ्य से अवगत है कि तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर तिरुप्पुर और कोयंबटूर में बड़ी संख्या में काम करने वाले प्रवासी कामगारों को आवास और किराए पर मकान प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि निजी मकान मालिक प्रवासी श्रमिकों से अत्यधिक किराया वसूल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केंद्र सरकार का प्रवासी कामगारों के लाभ हेतु कामकाजी लड़कियों के आवासों की तर्ज पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स (एआरएचसी) के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने नागरिकों के लिए किराया आवास उपलब्ध कराने सहित किफायती आवास से संबंधित सरकारी नीतियां और योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने-अपने शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में प्रवासी श्रमिकों सहित पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी

(पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई 2020 में पीएमएवाई-यू की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) शुरू की। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की गई है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा की गई पहलों के आधार पर, मॉडल-1 के अंतर्गत अब तक कुल 5,783 सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएचसी में बदल दिया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल-2 के अंतर्गत 175.95 करोड़ रुपये के प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के साथ तमिलनाडु सहित कई राज्यों में 83,298 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। इनमें से 40,630 एआरएचसी इकाइयों को जमीनी स्तर पर पूरा कर लिया गया है, जो तेजी से जमीनी कार्यान्वयन, सार्वजनिक/निजी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। दोनों मॉडलों के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए एआरएचसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

एआरएचसी की सीख के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत एआरएच के एक समर्पित घटक का प्रावधान किया गया है। एआरएच घटक का मूल उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों के कार्यस्थलों के करीब किफायती किराया आवास के निर्माण को बढ़ावा देना है। एआरएच घटक का उद्देश्य शहरी प्रवासियों/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/छात्रों/शहरी गरीबों आदि सहित

पात्र लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराया आवास के निर्माण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। रोजगार केंद्रों और कार्यस्थलों के पास आवास को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय और खर्चों को कम करना, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और अधिक समावेशी और टिकाऊ शहरी समुदाय तैयार करना है।

*****

दिनांक 12-03-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3449 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क. योजना के मॉडल-1 के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित किए गए मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर का नाम	एआरएचसी में परिवर्तित खाली आवासों की संख्या
1	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195
2	गुजरात	सूरत	528
3		अहमदाबाद	1,376
4		राजकोट	698
5	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	480
6	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	336
7	उत्तराखंड	लालकुआं	100
8		देहरादून	70
कुल			5,783

ख. योजना के मॉडल-2 के अंतर्गत स्वीकृत और सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा पूर्ण की गई एआरएचसी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	नाम		संस्था का नाम	कुल इकाइयाँ	निर्मित इकाइयाँ
	राज्य	शहर			
1	तमिलनाडु	श्रीपेरंबदूर	एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18,112	6,160
2		श्रीपेरंबदूर,	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	4,994	4,994
3		होसुर	टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड	13,500	10,756
4		चेन्नई	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम	18,720	18,720
5		चेन्नई	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,040	-
6		चेन्नई	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	5,045	-
7	छत्तीसगढ़	रायपुर	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222	-
8	असम	कामपुर टाउन	गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222	-

9	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,112	-
10	गुजरात	सूरत	मित्सुमी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	453	-
11	तेलंगाना	निजामपेट	सिवानी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	14,490	-
12	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	736	-
13		विज़ियानग्राम	कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	652	-
कुल				83,298	40,630

*****